

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर 2011—आश्विन 1, शक 1933

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

विमानन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 1-1/2008/पैतालीस,— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विमानन विभाग (राजपत्रित-तकनीकी) सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- (1) नियम-2 में, खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(छ क) “प्रशासकीय अधिकारी” से अभिप्रेत है, कार्यपालक/सिविल राजपत्रित अधिकारी जो संचालनालय में कार्यरत कार्यपालक/अलिपिकवर्गीय एवं तकनीकी कर्मचारियों के कार्य के पर्यवेक्षण तथा समस्त प्रशासकीय कार्य (वायुयान/हेलीकॉप्टर की उड़ानों तथा संधारण को छोड़कर) में लगा हो;”

(2) अनुसूची एक के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:-

“अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिए)

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान तथा ग्रेड पे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पायलट (तकनीकी पद)				
1.	चीफ पायलट/संचालक	1	प्रथम श्रेणी	37400-67000+ग्रेड पे रु.10000
2.	सीनियर पायलट (हैलीकॉप्टर)	5	प्रथम श्रेणी	37400-67000+ग्रेड पे रु.10000
3.	सीनियर पायलट (एयरक्राफ्ट)	1	प्रथम श्रेणी	37400-67000+ग्रेड पे रु.10000
4.	पायलट (एयरक्राफ्ट)	1	प्रथम श्रेणी	37400-67000+ग्रेड पे रु. 8900
5.	जूनियर पायलट (एयरक्राफ्ट)	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+ग्रेड पे रु. 6600
6.	प्रशासकीय अधिकारी (गैर तकनीकी पद)	1	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ग्रेड पे रु. 5400
इंजीनियर (तकनीकी पद)				
1.	चीफ इंजीनियर	1	प्रथम श्रेणी	37400-67000+ग्रेड पे रु.10000
2.	डिप्टी चीफ इंजीनियर (संधारण)	1	प्रथम श्रेणी	37400-67000+ग्रेड पे रु. 8900
3.	डिप्टी चीफ इंजीनियर (रेडियो)	1	प्रथम श्रेणी	37400-67000+ग्रेड पे रु. 8900
4.	अधीक्षण यंत्री (संधारण)	1	प्रथम श्रेणी	37400-67000+ग्रेड पे रु. 8700
5.	अधीक्षण यंत्री (रेडियो)	0	प्रथम श्रेणी	37400-67000+ग्रेड पे रु. 8700
6.	फोरमेन	1	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+ग्रेड पे रु. 4200

(3) अनुसूची 2 में, अनुक्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
“6.	प्रशासकीय अधिकारी	शासकीय विभाग के किसी योग्य अधिकारी से प्रतिनियुक्ति पर”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक खाण्डेकर, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2011

क्र. 1-1-2008-पैतालीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-1-2008-पैतालीस, दिनांक 2 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक खाण्डेकर, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 2nd September 2011

No. F 1-1/2008/XLV,- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Aviation Department (Gazetted) Technical Service Recruitment and Service Condition Rules, 2003, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,-

- (1) In rule 2, after clause (g), the following clause shall be inserted, namely :-

"(ga) "Administrative Officer" means an Executive/Civil Gazetted Officer, who is supervising the work of executive/non-ministerial and technical employees and conducting all administrative work of the Directorate (except flying and maintenance work of aeroplane/helicopters);"

- (2) for Schedule I, the following Schedule shall be substituted, namely :-

SCHEDULE-I (See rule 5)

S.No. (1)	Name of Posts included in the services (2)	Number of posts (3)	Classification (4)	Scale of pay and Grade Pay (5)
PILOT (TECHNICAL POST)				
1.	Chief Pilot/Director	1	Class I	37400-67000+Grade Pay Rs.10000
2.	Senior Pilot (Helicopter)	5	Class I	37400-67000+Grade Pay Rs.10000
3.	Senior Pilot (Aircraft)	1	Class I	37400-67000+Grade Pay Rs.10000
4.	Pilot (Aircraft)	1	Class I	37400-67000+Grade Pay Rs. 8900
5.	Junior Pilot (Aircraft)	1	Class I	15600-39100+Grade Pay Rs.6600
6.	Administrative Officer (Non-Technical Post)	1	Class II	15600-39100+Grade Pay Rs.5400

ENGINEER (TECHNICAL POST)				
1.	Chief Engineer	1	Class I	37400-67000+Grade Pay Rs.10000
2.	Deputy Chief Engineer (Maintenance)	1	Class I	37400-67000+Grade Pay Rs.8900
3.	Deputy Chief Engineer (Radio)	1	Class I	37400-67000+Grade Pay Rs.8900
4.	Superintending Engineer (Maintenance)	1	Class I	37400-67000+Grade Pay Rs.8700
5.	Superintending Engineer (Radio)	0	Class I	37400-67000+Grade Pay Rs.8700
6.	Foreman	1	Class II	9300-34800+Grade Pay Rs.4200

(3) In Schedule II, after serial number 5 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)
"6.	Administrative Officer	On deputation from any eligible officer of Government Department

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DEEPAK KHANDEKAR, Principal Secy.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2011

क्र. एफ 25-17-2009-दस-3.—मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्रमांक 9 सन् 1969) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) काष्ठ नियम, 1973 में, जो उक्त अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार "मध्यप्रदेश राजपत्र", भाग 4, दिनांक 1 जनवरी, 2010 को प्रकाशित किए गए थे, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 7 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

- “(1) प्रत्येक विनिर्माता जो विनिर्दिष्ट किसी इमारती लकड़ी का कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है तथा प्रत्येक व्यापारी और उपभोक्ता जिसका, यथास्थिति, वार्षिक उपयोग, आवश्यकता या उपभोग, नीचे दी गई अनुसूची में दी गई मात्रा से अधिक हो, विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी के अपने स्टॉक की घोषणा प्रारूप “घ” में करेगा और उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई वार्षिक रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय करने के पश्चात् इसमें इसके पश्चात्, उपबंधित रीति में स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करवाएगा.

अनुसूची

वह न्यूनतम मात्रा जिसके लिए विनिर्माताओं, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं के लिए रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है तथा विनिर्माताओं, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए वार्षिक फीस :-

वह न्यूनतम मात्रा जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है			वार्षिक रजिस्ट्रीकरण फीस	
व्यापारी	उपभोक्ता	विनिर्माता तथा उपभोक्ता	व्यापारी	उपभोक्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क) भवन निर्माण ठेकेदार के लिए 1 घनमीटर	वास्तविक प्रयोजनों के लिए 10 घनमीटर	रुपये 2000/-	(क) भवन निर्माण ठेकेदार रुपये 2000/-	वास्तविक उपभोक्ता के लिए रुपये 200/-
(ख) बढ़ई की दुकान/ फर्नीचर बनाने वाले, जिसमें टर्नरी आर्टीजन्स सम्मिलित है, 1 घनमीटर			(ख) बढ़ई की दुकान/ फर्नीचर बनाने वाले, जिसमें टर्नरी आर्टीजन्स सम्मिलित है, रुपये 200/-	
			(ग) केवल व्यापारी रुपये 2000/-	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2011

क्र. एफ 25-17-2009-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 25-17-2009-दस-3, दिनांक 14 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

Bhopal, the 14th September 2011

No.F-25-17-2009-X-3.—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Madhya Pradesh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhinyam, 1969 (No. 9 of 1969), the State Government, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Kasta Niyam, 1973, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part 4 dated 1 st January, 2010 as required by sub-section (1) of section 21 of the said Act, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 7, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

- “(1) Every manufacturer who, uses any specified timber as a raw material and every trader and consumer whose, annual use, requirement or consumption, as the case may be, exceeds the quantity given in the Schedule below, shall declare his/stock of specified timber in Form D and get himself registered in the manner hereinafter provided after payment of a annual registration fee as specified in the said Schedule.

SCHEDULE

Minimum quantity for which registration is necessary for Manufacturers, traders and consumers and the annual registration fee for manufacturers, traders and consumers :—

Minimum quantity for which registration is necessary			Annual registration fee		
Trader	Consumer	Manufacturer and Consumer	Traders	Consumer	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
(a) House building contractors 1 cu.m.	Bonafide purposes 10 cu.m.	Rs.2000/-	(a) House building contractors Rs.2000/-	Bonafide consumer Rs.200/-	
(b) Carpentry/shops furniture makers including turnery artisans 1 cu.m.			(b) Carpentry shops furniture makers including turnery artisans Rs.200/-		
			(c) Only traders of Rs.2000/-”		

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
V. N. PANDEY, Secy.